न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— संजय कुमार आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 62/2020

बलदेव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह जाति मजहबी निवासी गांव मटीली राठान तहसीलव जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री माना सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जरनैल सिंह पुत्र श्री माना सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. टहल सिंह पुत्र श्री माना सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. महल सिंह पुत्र श्री माना सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. मुखत्यार सिंह पुत्र श्री हरबन्स कौर
6. रमनदीप कौर पत्नी श्री करनैल सिंह
7. सप्रीत कौर पुत्री श्री तेजा सिंह
8. सतनाम सिंह पुत्र श्री लखा सिंह
9. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री लखा सिंह
10. वीरपाल कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री श्री लखा सिह
11. जबरजोर सिंह पुत्र श्री नगीना सिंह
12. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री नगीना सिंह
13. अमरजीत कौर पुत्री श्री सुरजीत सिंह
14. ज्योति कौर पुत्री श्री तेजा सिंह
15. गुरमेल सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह
16. सुखजीत कौर पुत्री श्री तेजा सिहं
17. जयप्रीत कौर पुत्री श्री तेजा सिह
18. ज्ञान कौर पुत्री श्री लखा सिंह
19. सुखदेव सिंह पुत्र श्री लखा सिंह
20. मनजीत कौर पुत्री श्री लखा सिंह
21. रणजीत कौर पुत्री श्री लखा सिंह
22. परमजीत कौर पुत्री श्री लखा सिंह
23. आशा पुत्री नगीना
24. तविन्द्र कौर पुत्री नगीना सिंह
25. काला सिंह पुत्र श्री रतन सिंह
26. गुरदीप सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह
27. जसवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
28. जोगेन्द्र कौर पत्नी श्री प्यारा सिंह
29. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह
30. दिलबाग सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

31. बलविन्द्र सिहं पुत्र श्री जीत सिंह
32. हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह काम मजहबी सिख निवासीयान गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
33. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर राजस्थान ।
34. मलकीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति बाजीगर निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
35. दलजीत सिंह } पिसरान श्री हरी सिंह जाति बाजीगर निवासी गांव मटीली राठान
36. मनजीत सिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री भारत भूषण नागपाल	— —	प्रार्थी
2. श्री हंसराज तनेजा	— —	अप्रार्थी 1 ता 4, 34 ता 36
3. श्री राजेन्द्र वर्मा	— —	अप्रार्थी 25, 26,28 ता 32
4. श्री नेरश गाबा	— —	अप्रार्थी 27
4. श्रीमती लक्ष्मी देवी	— —	अप्रार्थी संख्या 5 ता 24
5. पैरोकार राज	— —	अप्रार्थी 33

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 06.03.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 24 के नाम से वाके चक 3 एल बड़ा के खाता संख्या 36/47 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 में सयुक्त रूप से 6.325 हैक्टयर रकबा में 1.687 हिस्सा रकबा मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी है एवं अप्रार्थी संख्या 25 ता 32 के नाम खाता संख्या 23/20 के मुरब्बा नम्बर 28 व 42 की कुल 9.100 हैक्टयर रकबा मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 33 सड़क आम से इसी चक के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 का प्रयोग करते है जो कि मौका पर चालू है तथा उसके बाद मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 के दक्षिण फुट का प्रयोग करते हुए अपने रकबा में प्रवेश करते है। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के सयुक्त रूप से नाम है । नक्शा की फोटो प्रति एवं रास्ता की फोटो संलग्न है। चूंकि प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में एवं मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता चालू हैं लेकिन स्वीकृत शुदा नही है जो कि अप्रार्थी संख्या [illegible] है। इस कारण से कभी कभी रास्ता में बाधा पैदा कर देते है। जिससे प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी संख्या 5 ता 24 अपने रकबा में आवगमन नही कर सकते है। इसलिए [illegible] मुरब्बा नम्बर 19 में चल रहे रास्ता को लेकर काश्तकारो का आपस में तनाव बना [illegible] । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 25 ता 32 द्वारा मुरब्बा नम्बर 20 के काश्तकारो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 24 को धमकी दी है कि इस चालू रास्ता को जोत कर नष्ट कर देगे। अगर उक्त रास्ता को बन्द कर दिया जाता है तो मुरब्बा नम्बर 20 के काश्तकारो व प्रार्थी को अपने रकबा में आवगमन नही हो सकेगा जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 24 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता के अलावा ये अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक एवं सुविधा जनक रास्ता नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संया 5 ता 24 को आने जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है तथा मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी का रकबा सयुक्त खाता होने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 ता 24 को भी रास्ता की आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के रोज न्यायालय में प्रस्तुत होने की असमर्थता के कारण इनको औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके चक 3 एल बड़ा के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 के दक्षिण दिशा एवं मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11,20, 21 दक्षिण दिश में चले रहे रास्ता स्वीकृत किया जावे

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या संख्या 1 ता 4 व 34 से 36 द्वारा इकाबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 इस हद तक स्वीकार है कि मुरब्बा म्बर 28 के किला नम्बर 1,10, 11, 20, 21 में रास्ता चालू है जो पिछले लगभग 20 वर्षो से चालू है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा प्रतिवादी संख्या 34 से 36 उस रास्ता से अपनी भूमि में आते जाते है तथा पिछले 20 वर्षो से ही वह रास्ता चालू है अब उक्त रास्ता से अन्य प्रतिवादीगण भी आ जा रहे है। मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 के दक्षिण दिशा में रास्ता चालू है लेकिन स्वीकृतशुदा नहीं है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 25 से 32 के नाम से है जिसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अगर रास्ता बन्द कर दिया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 34 से 36 व 1 ता 4 व अन्य अप्रार्थीगण को व अन्य काश्तकारों को अपूर्णनीय क्षति होगी। मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11,20,21 की दक्षिण दिशा में 2– 2 बिस्वा अर्थात 16 फुट रास्ता आज से लगभग 20 वर्षो से चालू जिसमें से प्रार्थीगण (अप्रार्थी संख्या 34 ता 36) व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 पूर्व में ही आ जा रहे है। उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी जोगेन्द्र सिंह, बलविन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह पिसरान श्री जीत सिंह, काला सिंह पुत्र श्री उतम सिंह, जातियान मजहबी तथा रामूराम पुत्र श्री प्रहलादराम जाति मेघवाल निवासीयान गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से थी आज भी उक्त जमीन पर उक्त वर्णित किलाजात 1, 10, 11, 20, 21 पर उक्त अप्रार्थीगण का कब्जा है व रास्ता चालू है । उक्त रास्ता अप्रार्थीगण ने मलकीत सिंह, हरी सिंह पिसरान श्री मंगल सिंह तथा माना सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति तरखान को दिनांक 09–01–2004 को बेचान करके ईकरारनामा सौदा बैय कब्जा तहरीर करके दिया हुआ है जिसकी प्रति साथ संलग्न जवाब हैं । चूंकि हरी सिंह व माना सिंह की मृत्यु हो चुकी है इसलिए माना सिंह के स्थान पर उसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 गुरदीप सिंह वगैरा को पक्षकार बनाया गया है तथा हरी सिंह के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 35 व 36 हरी सिंह के वारिसों दलजीत सिंह व मनजीत सिंह को बनाया गया है व अप्रार्थी संख्या 34 मलकीत सिंह वर्तमान में उक्त रास्ता से ही आ जा रहे है । यह कि उक्त मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे रास्ता के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण जोगेन्द्र सिंह–बलविन्द्र सिंह–हरजिन्द्र सिह– काला सिंह ने एक दस्तावेज पुनः दिनांक 22–12–2020 को लिखकर दिया हुआ है कि उक्त किलाजात में 16–16 फुट का रास्ता जो पूर्व में लिखकर दिया हुआ है वह आज भी चालू है तथा उक्त किलाजात पर हमारा कब्जा है रास्ते वाली भूमि हमने पूर्व में बेचान की हुई है तथा प्रतिफल राशि प्राप्त की हुई है उक्त ... करेंगे, ना ही पूर्व में हमने कोई रूकावट पैदा की है रास्ता स्वीकृत कर दि... तो हमे कोई एतराज नहीं है। इस स्थिति में जो रास्ता पूर्व में 20 वर्षो से चालू है ... चुका है वह रास्ता अब मन्जूर करने में श्रीमान् न्यायालय को कोई कानूनी ... नही है ना ही किसी को कोई एतराज है, न्यायहित में रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 25, 26 ता 28 ता 32 ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 स्वीकार है मुरब्बा नम्बर 28 के किला

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 1, 10, 11, 21 में एंव मुरब्बा नम्बर 21 के दक्षिण में स्थित रास्ता चालू है लेकिन स्वीकृतशुदा नही हैं जो अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 व 25 ता 32 के नाम से है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता के सम्बन्ध में मुआवजा राशि प्राप्त कर ली गई है उक्त रास्ता को स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 25 ता 32 को कोई भी एतराज नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 24 को अपने रकबा में जाने के लिये कोई भी रास्ता स्वीकृत नहीं है उक्त रास्ता जो प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है वही मौका पर चालू है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 का प्रयोग करते हैं व अप्रार्थीगण संख्या 25 ता 32 द्वारा जो उक्त रास्ता चालू है जिसके सम्बन्ध में मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है उक्त रास्ता की कृषि भूमि किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 पर अप्रार्थीगण संख्या 25 ता 32 का ही कब्जा है। उक्त किला में से रास्ता स्वीकृत कर आदेश पारित कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 25 ता 32 को कोई भी एतराज नहीं है। उक्त रास्ता हमने वर्ष 2004 में ही लिखकर दिया है तथा रास्ता छोड़ा हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज कि चक 3 एल बड़ा के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 के दक्षिण दिशा एंव मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 27 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चाहा गया रास्ता व वर्णित कृषि भूमियाँ सहखातेदारी है जिसका विधिवत तौर पर कोई विभाजन नही हुआ है इस प्रकार कानूनन जब तक उक्त कृषि भूमियो का विभाजन नही हो जाता तब तक रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। मुरब्बा नम्बर– 20 में जाने के लिए मुरब्बा नं. 27 रास्ते के लिए एक वैकल्पिक जगह है। लेकिन मुरब्बा नं. 27 के काश्तकारो को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है । इस प्रकार इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।पैरा वाईज जवाब– प्रार्थी के द्वारा मुरब्बा नं. 28–42 में से 1.518 है0 कृषि भूमि को दिनांक 29.05.2007 को रामुराम पुत्र श्री प्रहलाद राम से खरीद की गई थी। जिसमें प्रार्थी को मौके पर मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 7 से 12 का कब्जा सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 33 सडक आम से इस चक के मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1,10, 11, 20, 21 मे किसी प्रकार के कोई रास्ते का प्रयोग नहीं करते है ना ही रास्ता मौके पर चालू है। एवं ना ही उसके बाद मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 21 के किसी दक्षिण दिशा में प्रयोग करते हुए रास्ते मे प्रवेश करते है । प्रार्थी द्वारा लालचवश गलत तथ्य अंकित करवाये है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1,10,1.1,20,21 एवं मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 21 के दक्षिण दिशा में कोई रास्ता चालू नहीं है। इस प्रकार जब कोई रास्ता चालू ही नहीं है तो रास्ते में बाधा का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है । इस प्रकार मुरब्बा नं. 28 व 19 के काश्तकारो में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। जब वर्तमान में कोई रास्ता चालू ही नही है तो उसे नष्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता वर्तमान में रास्ते के लिए चाही गई वर्णित भूमि में से मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 10, वा 11 पर प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी द्वारा उस पर काश्त की जा रही है इस प्रकार वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है । वर्णित रास्ते के लिए भूमि मुरब्बा न. 12 दं 27 मे भी दी जा सकती है लेकिन प्रार्थी द्वारा जानबुझकर मुरब्बा नं. 27 के काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया है इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की अप्रार्थी संख्या 5 ता 24 के साथ दुरभिसंधि होने के कारण गलत ... पक्षकार बनाया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ... 251 (ए) को सव्यय खारिज फरवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 ता 24 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा एवम् जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अधिकारी (राजस्व) ...गार

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी द्वारा अपने रकबा में जाने के लिए चक 3 एल बड़ा के मुरबा नंबर 28 के किला नं. 1,10,11, 20,21 में दक्षिण दिशा में चल रहे रास्ता को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा में आने जाने के लिए मुरबा नं. 28 के किला नं. 1,10,11, 20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा एवम् मुरबा नम्बर 19 के किला नं. 21/1 के दक्षिण–पश्चिम कोना 16.5 इन्टु 16.5 फुट पर चालू रास्ता (प्रस्तावित रास्ता) उपयोग में ले रहे हैं। चाहा गया रास्ता जरिए ईकरारनामा सौदा बैय मय कब्जा दिनांकित 06.01.2004 के खरिद किया जा चुका है। अतः रास्ता स्वीकार किया जावे। बहस के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा ईकरारनामा सौदा बैय मय कब्जा दिनांकित 06.01.2004 की नोटेरी अटेसटेड प्रति प्रस्तुत की गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4, 5 ता 24, 25, 26,28 ता 32, 34 ता 36 द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता मुरबा नं. 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 को स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर कि गई एवं रास्ता (मुरबा नं. 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21) की राशि जरिए इकरारनामा सौदा बैय मय कब्जा दिनांकित 06.01.2004 के पूर्व में दिये जाने का कथन किया गया एवम् रास्ता मुरबा नं. 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में छोडा गया है का कथन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 27 द्वारा बहस में कथन किया गया कि चक 3 एल बड़ा के मुरबा नंबर 28 के किला नं. 1,10,11, 20,21 में दक्षिण दिशा में कोई रास्ता नहीं चल रहा है, और रास्ता जब चल ही नहीं रहा है तो उसमें अवरोध किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं आता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए को खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में चक 3 एलए बडा के मुरबा नं. 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने का अभिकथन किया गया है। प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 3 एल बड़ा के मुरबा नंबर 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में डेढ़–डेढ़ बिस्वा रास्ता दक्षिण दिशा की ओर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner